

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय
नैनीताल

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा

माननीय श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा

07 सितंबर, 2022

आपराधिक अपील संख्या 263/2014

गोपी उर्फ हरमेंद्र

..... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य

..... प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : श्री अकरम परवेज, एमिकस क्यूरी।

राज्य के अधिवक्ता : श्री जे.एस. विर्क, राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

(माननीय श्री संजय कुमार मिश्रा, जे.)

इस अपील में, अपीलकर्ता - गोपी उर्फ हरमेंद्र ने विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा सत्र वाद संख्या 142/2011 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 15.07.2014 द्वारा अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उन्हें भारतीय दंड संहिता (इसके बाद इसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा जाएगा) 1860 की

धारा 302, 376, 201, 404 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए क्रमशः आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 2,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी; सात वर्ष का सश्रम कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास; दो वर्ष का कठोर कारावास और 500/- रुपये के जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा और एक वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500/- रुपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त एक माह का कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का भी निर्देश दिया है।

2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि मुनेश सिंह पिता- लल्लू सिंह ने दिनांक 05.03.2011 को थाना श्यामपुर, जिला हरिद्वार में इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि प्राथमिकी दर्ज करने के तीन चार दिन पूर्व, वह चिड़ियापुर में अपनी ड्यूटी कर रहा था। प्राथमिकी दर्ज करने के दिन उन्हें योगराज, पिता- घसीटा सिंह से सूचना मिली कि सूरज सिंह के खेत के पास उनकी पत्नी की लाश पड़ी है। सूचना मिलने पर जब वह घर गया तो देखा कि उसकी पत्नी का शव सूरज सिंह के खेत में पड़ा हुआ है। बच्चों से पूछने पर उन्हें पता चला कि बीती रात करीब 09:00 बजे उसकी पत्नी हाथ में टॉर्च लेकर अपने बड़े भाई दयाराम के घर की ओर निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसलिए, उन्हें शक हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसका बलात्कार करके हत्या कर दी है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराधिक कांड संख्या 13/2011 दर्ज करके अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान शुरू किया और संदेह के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अपीलकर्ता की हिरासत के दौरान, उसकी निशानदेही पर मृतका के गहने, मोबाइल और टॉर्च जैसी कुछ वस्तुएं बरामद की गईं। वैज्ञानिक अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करके उन्होंने अपीलकर्ता के खिलाफ दंड संहिता की धारा 302, 376, 201, 404 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

3. अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, तथापि विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को संदेह से परे युक्तियुक्त साबित कर दिया है और इसलिए, उन्हें उपरोक्त धाराओं के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराया तथा ऊपर वर्णित सजा सुनाई। इस अपील के लंबित होने के दौरान ही अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का एक आवेदन दायर किया कि घटना की तिथि को वह वयस्क नहीं था और इस न्यायालय द्वारा 07.08.2020 को पारित आदेश के द्वारा किशोर न्याय बोर्ड को निर्देशित किया गया था कि मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करें, चूंकि वह उसी के अधिकार क्षेत्र का मामला था। दिनांक 19.08.2020 के एक पत्र द्वारा इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

4. इस प्रकार, उक्त रिपोर्ट के आधार पर, इस न्यायालय ने पहले ही अपीलकर्ता को जमानत दे दी थी।

5. हमने प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। किशोर न्याय बोर्ड, हरिद्वार ने इस आशय का एक विशिष्ट निष्कर्ष दिया है कि अपीलकर्ता घटना के दिन किशोर था और उसकी उम्र 13 वर्ष 08 महीने और 04 दिन थी। उक्त निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

"04. चूंकि अपीलार्थी की जन्मतिथि उसके प्रथम विद्यालय में दिनांक 01.07.1997 दर्ज है तथा अपराध किए जाने की तिथि 04-05/03/2011 है, अतः घटना की तिथि को अपीलार्थी गोपी उर्फ हरमेन्द्र की उम्र 13 वर्ष 8 महीना 4 दिन पायी गयी। घटना की तारीख पर अपीलकर्ता की उम्र 18 वर्ष से कम थी और अपीलकर्ता गोपी उर्फ हरमेन्द्र घटना की तारीख को किशोर था। जांच करने के बाद बोर्ड ने थाना श्यामपुर जिला हरिद्वार में

भा.द.वि. की धारा 302, 376, 404, 201के तहत दर्ज अपराध कांड संख्या 13/11 में अपीलकर्ता को घटना की तिथि को किशोर घोषित किया है। बोर्ड द्वारा पारित किशोर होने संबंधी घोषणा का आदेश माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ संलग्न किया जा रहा है।"

6. इस प्रकार, यहां इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता घटना की तिथि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक था। तथापि घटना 05.03.2011 को घटित हुई थी। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में निर्धारित प्रक्रिया को ध्यान में रखा जाएगा। इसकी धारा 14 में दंडाधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया प्रदान की गई है जिसे अधिनियम के तहत शक्ति प्रदान नहीं की गई है। यह इस प्रकार उद्धृत है : -

"14. विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के बारे में बोर्ड द्वारा जांच -

(1) जहां विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित बालक, बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है, वहां बोर्ड इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जांच करेगा और ऐसे बालक के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह इस अधिनियम की धारा 17 और धारा 18 के अधीन ठीक समझे ।

(2) इस धारा के अधीन कोई जांच, बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर, जब तक कि बोर्ड द्वारा, मामले की परिस्थितियों को ध्यान

में रखते हुए और ऐसे विस्तारण के लिए लिखित में कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् दो और मास की अधिकतम अवधि के लिए उक्त अवधि विस्तारित नहीं की गई हो, पूरी की जाएगी ।

(3) बोर्ड द्वारा, धारा 15 के अधीन जघन्य अपराधों की दशा में प्रारंभिक निर्धारण, बोर्ड के समक्ष बालक को पहली बार पेश किए जाने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।

(4) यदि बोर्ड द्वारा, छोटे अपराधों के लिए उपधारा (2) के अधीन जांच, विस्तारित अवधि पश्चात् भी अनिर्णायक रहती है तो कार्यवाहियां समाप्त हो जाएंगी :

परंतु घोर या जघन्य अपराधों के लिए यदि बोर्ड जांच पूरी करने के लिए समय और बढ़ाने की अपेक्षा करता है, तो यथास्थिति, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट लिखित में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उसे प्रदान करेगा।

(5) बोर्ड, ऋजु और त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा,

अर्थात् :-

(क) जांच प्रारंभ करते समय, बोर्ड अपना यह समाधान करेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक से पुलिस द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत वकील या परिवीक्षा

अधिकारी भी है, कोई दुर्व्यवहार न किया गया हो और वह ऐसे दुर्व्यवहार के मामले में सुधारात्मक उपाय करेगा;

(ख) इस अधिनियम के अधीन सभी मामलों में, कार्यवाहियां यथासंभव साधारण रीति से की जाएंगी और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाएगी कि ऐसे बालक को, जिसके विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं, कार्यवाहियों के दौरान बाल अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाया जाए;

(ग) बोर्ड के समक्ष लाए गए प्रत्येक बालक को जांच में सुनवाई का और भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा;

(घ) छोटे अपराधों वाले मामलों का निपटारा बोर्ड द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड द्वारा संक्षिप्त कार्यवाहियों के माध्यम से किया जाएगा;

(ङ) बोर्ड द्वारा घोर अपराधों की जांच का निपटारा, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए किया जाएगा;

(च) जघन्य अपराधों की जांच, -

(i) अपराध किए जाने की तारीख को सोलह वर्ष से कम आयु के बालक के संबंध में जघन्य अपराधों की जांच खंड (ङ) के अधीन बोर्ड द्वारा निपटाई जाएगी; और

(ii) अपराध किए जाने की तारीख को सोलह वर्ष से अधिक आयु के बालक के संबंध में जघन्य अपराधों की जांच धारा 15 के अधीन विहित रीति से की जाएगी।"

7. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 7क को अब निरस्त कर दिया गया है तथा किसी भी अदालत के समक्ष किशोर होने का दावा किए जाने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

"7क. किसी न्यायालय के समक्ष किशोरावस्था का दावा किए जाने पर अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया-

(1) जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष किशोरावस्था का कोई दावा किया जाता है या न्यायालय की यह राय है कि अभियुक्त व्यक्ति अपराध कारित होने की तारीख को किशोर था तब न्यायालय ऐसे व्यक्ति की आयु का अवधारण करने के लिए जांच करेगा, ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो (किन्तु शपथ-पत्र पर नहीं) और इस बारे में उसकी निकटतम आयु का कथन करते हुए निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि वह व्यक्ति किशोर या बालक है अथवा नहीं; परंतु किशोरावस्था का दावा किसी न्यायालय के समक्ष किया जा सकेगा और उसे किसी भी प्रक्रम पर, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटान के पश्चात् भी मान्यता दी जाएगी और ऐसे दावे का इस अधिनियम में और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अवधारण किया जाएगा, भले ही उसकी किशोरावस्था इस

अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले समाप्त हो गई हो।

(2) यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अपराध कारित करने की तारीख को किशोर था, तो वह उस किशोर को समुचित आदेश पारित किए जाने के लिए बोर्ड को भेजेगा, और यदि न्यायालय द्वारा कोई दंडादेश पारित किया गया है तो यह समझा जाएगा कि उसका कोई प्रभाव नहीं है।”

8. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 15 में उन आदेशों का प्रावधान है जो किशोरों के संबंध में पारित किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं: -

"15. आदेश जो किशोर के बारे में पारित किया जा सकेगा

(1) जहां बोर्ड का जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि किशोर ने अपराध किया है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, वह बोर्ड, यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है, तो,-

(क) किशोर को उसके विरुद्ध समुचित जांच करने के पश्चात् और माता-पिता या संरक्षक या किशोर की परामर्श देने के पश्चात् उपदेश या भर्त्सना के पश्चात् घर जाने देने का निदेश दे सकेगा;

(ख) किशोर को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही क्रियाकलापों में भाग लेने का निदेश दे सकेगा;

(ग) किशोर को सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकेगा;

(घ) किशोर के माता-पिता को या स्वयं किशोर को जुर्माने का संदाय करने का आदेश दे सकेगा यदि वह चौदह वर्ष से अधिक आयु का है और धन अर्जित करता है;

(ङ) किशोर को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का निदेश, ऐसे माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति द्वारा किशोर के सदाचार और उसकी भलाई के लिए उस बोर्ड की अपेक्षानुसार प्रतिभू सहित या रहित, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर, दे सकेगा;

(च) किशोर को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और सदाचार और उसकी भलाई के लिए किसी योग्य संस्था की देखरेख में रखने का निदेश तीन वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए दे सकेगा;

(छ) किशोर को तीन वर्ष की अवधि के लिए विशेष गृह में भेजने के लिए निदेश देने वाला आदेश कर सकेगा; परंतु यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि अपराध की प्रकृति और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन कारणों से, जो लेखबद्ध

किए जाएं, ऐसा करना समीचीन है, तो बोर्ड रोक आदेश की अवधि को ऐसी अवधि तक घटा सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(2) बोर्ड किशोरों पर किसी परिवीक्षा अधिकारी या मान्यताप्राप्त स्वैच्छिक संगठन की मार्फत या अन्यथा सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट अभिप्राप्त करेगा और ऐसा आदेश पारित करने के पूर्व ऐसी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के खंड (घ), खंड (ड) या खंड (च) के अधीन आदेश किया जाता है वहां बोर्ड, यदि उसकी यह राय है कि ऐसा करना किशोर के तथा लोकहित में समीचीन है, तो अतिरिक्त आदेश कर सकेगा कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर आदेश में नामित परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में, तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के दौरान रहेगा, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जिन्हें वह विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर के सम्यक् पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझे; परन्तु यदि तत्पश्चात् किसी समय बोर्ड को परिवीक्षा अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर पर्यवेक्षण की कालावधि के दौरान सदाचारी नहीं रहा है अथवा वह योग्य संस्था, जिसकी देखरेख में किशोर को रखा गया था, अब किशोर का सदाचार या भलाई सुनिश्चित करने के लिए असमर्थ है या रजामंद नहीं है तो वह ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक

समझे, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर को विशेष गृह को भेजे जाने का आदेश कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करते समय बोर्ड किशोर को तथा, यथास्थिति, माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति या योग्य संस्था को, जिसकी देखरेख में किशोर रखा गया है, आदेश के निबंधन और शर्तें समझा देगा और तत्काल उस पर्यवेक्षण आदेश की प्रतिलिपि, यथास्थिति, किशोर के माता-पिता, संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति या योग्य संस्था को और यदि कोई प्रतिभू हों तो उन्हें और परिवीक्षा अधिकारी को देगा।”

9. उपरोक्त धाराओं को सामान्यतया पढ़ने से प्रतीत होता है कि कानूनी प्रक्रिया में अपील के स्तर पर भी किसी बच्चे द्वारा दी गई किशोर होने की दलील स्वीकार की जा सकती है, अर्थात् विचारण पूरा होने के बाद भी। इस प्रकार के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अबुजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2012) 10 एससीसी 489 के मामले में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 7-ए (1) के प्रावधान का दायरा निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

"39. अब, हम स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं जो इस प्रकार है:

39.1. मामले के अंतिम निस्तारण के बाद भी किसी भी स्तर पर नाबालिग होने का दावा किया जा सकता है। मामले के निस्तारण के बाद यह दावा इस न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है। केवल देरी से दावा किए जाने के कारण किशोर होने का दावा

खारिज नहीं किया जा सकता। नाबालिग होने का दावा अपील में तब भी किया जा सकता है, जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष दावा नहीं किया गया हो। इस कोर्ट के समक्ष पहली बार तब भी दावा किया जा सकता है, जबकि विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालय के समक्ष पहले नहीं रखा गया हो।

39.2. यदि नाबालिग होने का दावा सजा होने के बाद किया जाता है, तो दावेदार को कुछ ऐसी सामग्री पेश करनी होगी जिसके द्वारा प्रथम दृष्टया अदालत संतुष्ट हो सके कि नाबालिग होने के दावे की जांच आवश्यक है। यह कार्य उसी व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए, जो किशोर होने का दावा करता है।

39.3. कौन सी सामग्री प्रथम दृष्टया अदालत को संतुष्ट करेगी और/या प्रारंभिक बोझ को कम करने के लिए पर्याप्त है, उन्हें स्पष्ट रूप से नामबद्ध नहीं किया जा सकता, और न ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि कौन सा विशिष्ट साक्ष्य कितना प्रामाणिक होगा और उसके नाबालिग होने की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन नियम 12(3)(ए)(i) से (iii) में संदर्भित दस्तावेज निश्चित रूप से अदालत की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे कि अपराधी की उम्र के बारे में नियम 12 के तहत आगे जांच किए जाने आवश्यकता है। उक्त संहिता की धारा 313 बहुत ही अस्थायी है और आमतौर पर नाबालिग होने के दावे को न्यायोचित ठहराने या अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सजा सुनाए जाने के बाद की तिथि को प्राप्त किए गए

'विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र' या मतदाता सूची जैसे दस्तावेजों की विश्वसनीयता और / या स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी और कोई स्पष्ट एवं कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उन्हें प्रथम दृष्टया स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाए। *अकबर शेख* और *पवन* के मामले में ये दस्तावेज प्रथम दृष्टया विश्वसनीय नहीं पाए गए जबकि *जितेंद्र सिंह* के मामले में यही दस्तावेज अर्थात् विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, अंकसूची और मेडिकल रिपोर्ट जांच के लिए निर्देश देने और अपीलकर्ता की उम्र के सत्यापन के लिए पर्याप्त माना गया। यदि ऐसे दस्तावेज पर प्रथम दृष्टया अदालत विश्वास कर लेती है, तो धारा 7-ए में निहित प्रयोजन से ऐसे दस्तावेजों पर कार्रवाई कर सकती है और अपराधी की आयु के निर्धारण के लिए जांच का आदेश दे सकती है।

39.4. मामले के लंबित रहने के दौरान या मामले के निस्तारण के बाद अपील या पुनरीक्षण में या इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाए गए किशोर होने के दावे के समर्थन में दावेदार, माता, पिता, भाई, बहन या किसी रिश्तेदार द्वारा दायर किया गया शपथपत्र उसकी आयु निर्धारित करने के लिए जांच का आदेश देने को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि मामले की परिस्थितियां इतनी स्पष्ट न हों कि अपराधी की आयु के निर्धारण की जांच का आदेश देना अदालत को आवश्यक प्रतीत हो।

39.5. जिस न्यायालय में नाबालिग होने का दावा पहली बार पेश किया गया है, उस न्यायालय को हमेशा 2000 के अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए और सचेत रहना चाहिए कि अति तकनीकी दृष्टिकोण के कारण 2000 के अधिनियम के प्रावधानों में निहित हित और लाभ से वे व्यक्ति जो 2000 के अधिनियम के लाभ पाने के हकदार हैं, ऐसे लाभ प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। अदालतों को अनावश्यक रूप से किसी सामान्य धारणा से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि स्कूलों में माता-पिता/अभिभावक भविष्य के लाभों के लिए अपने बच्चों की उम्र एक या दो साल कम बताते हैं या चिकित्सा परीक्षा द्वारा आयु निर्धारण बहुत सटीक नहीं है। उस मामले में संभावना की प्रबलता के आधार पर प्रथम दृष्टया विचार किया जाना चाहिए।

39.6. नाबालिग होने का दावा, जिसमें विश्वसनीयता की कमी हो, फर्जी हो, स्पष्ट रूप से बेतुका हो, स्वाभाविक रूप से असंभव हो, तो जब भी ऐसा दावा अदालत के समक्ष किया जाता है, उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

10. अशोक कुमार मेहरा एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (2019) 6 एससीसी 132 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी यही बात दोहराई गई है। संबंधित पैराग्राफ निम्नानुसार है :-

"8. अब जहां तक अपीलकर्ता-2 सुखवंत कुमार (पुत्र) द्वारा दायर अपील का संबंध है, हमारे विचार में, इस न्यायालय द्वारा हाल ही में राजू बनाम हरियाणा राज्य के मामले में दिए गए एक

फैसले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में उनकी प्रार्थना स्वीकार की जानी चाहिए, जिसका मामला भी ऐसा ही था। इस न्यायालय (तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ) ने पैरा 10 में जो कहा वह इस प्रकार है:-

"10. यह अब अच्छी तरह से तय हो गया है, जैसा कि हरि राम बनाम राजस्थान राज्य में अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 2 (के), 2 (आई), 7-ए तथा 2006 में संशोधित 2000 के अधिनियम की धारा 20 के आलोक में जो किशोर अपराध की तारीख को अठारह वर्ष का नहीं हुआ था, वह 2000 के अधिनियम के लाभ का हकदार है [ये मामले भी देखें- मोहन माली बनाम मध्य प्रदेश राज्य; दयानंद बनाम हरियाणा राज्य; धर्मबीर बनाम दिल्ली (एनसीटी) राज्य; जितेंद्र सिंह बनाम यूपी राज्य]। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि 2000 के अधिनियम की धारा 7-ए के तहत, किसी अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय सहित किसी भी अदालत के समक्ष किसी भी स्तर पर नाबालिग होने का दावा पेश किया जा सकता है, यहां तक कि मामले के अंतिम निपटान के बाद भी। [देखें धर्मबीर बनाम दिल्ली (एनसीटी) राज्य, अबुजार हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, जितेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, अब्दुल रज्जाक बनाम उत्तर प्रदेश।

11. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कोई किशोर इस न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान वयस्क हो जाने के बाद भी किशोर होने की दलील दे सकता है। इस मामले में, प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड, हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को स्वीकार

करते हुए, हम मानते हैं कि घटना के दिन अपीलकर्ता की आयु 13 वर्ष 8 महीने 4 दिन थी। इसलिए, उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता और एक वयस्क की तरह सजा नहीं सुनाई जा सकती।

12. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता को विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और उसके अनुसार, वह पहले ही सात साल के कारावास की सजा काट चुका है। अब इस मामले को पुनर्विचार/जांच के लिए किशोर न्याय बोर्ड, हरिद्वार को वापस भेजने का कोई अर्थ नहीं है। चूंकि अपीलकर्ता पहले ही सात साल से अधिक कारावास की सजा काट चुका है, हम मानते हैं कि उसे पर्याप्त सजा मिल चुकी है और आगे कोई सजा देने की आवश्यकता नहीं है।

13. किसी विशेष कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की अधिकतम सजा तीन वर्ष की अवधि के लिए ही है। यदि मामले को किशोर न्याय बोर्ड को वापस भेज दिया जाता है, तो किशोर न्याय बोर्ड भी ऐसी किसी सजा का आदेश पारित नहीं कर सकेगा, जो अपीलकर्ता द्वारा भुगती गई सजा से अधिक अवधि का हो।

14. इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है तथा दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है। विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा दी गई उनकी दोषसिद्धि को किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुरूप ही माना जाएगा।

15. रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह इस फैसले की एक प्रति और टीसीआर उनके सूचनार्थ और आवश्यक अनुपालन हेतु संबंधित अदालत को तत्काल भेज दें।

(आलोक कुमर वरुडर, ऑ.)
ऑ.)

(संऑऑ कुडर डरशुरर,

07.09.2022

(नरडडरनुसर ततुकरल डुरडरणरत डुरतर डुरदरन करुं)

ऑऑऑऑ/डंत